म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक / बोर्ड / ऋण / 75 / पार्ट / 18 भोपाल, दिनांक 25 / 05 / 2012

प्रति,

सचिव (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.........................जिला......................

विषयः–आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिए बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

–0–

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 120 वीं बैठक दिनांक 29.03.2012 में प्रस्ताव कमांक–05 अनुसार म0प्र0राज्य विपणन विकास निधि नियम–2000 के नियम 8(छह) (ख) के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिए बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अनुदान स्वीकृति की प्रकिया एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :–

(1) कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों के मामले में समिति माहवार देय राशियों का आंकलन करेंगी एवं प्रस्ताव मण्डी समिति के संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगी।

(2) मण्डी समिसति के संचालक मण्डल से ठहराव पारित होने के उपरांत ठहराव की छायाप्रति उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से प्रकरण मुख्यालय भेजा जावेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ मण्डी समिति की पिछले तीन वर्ष की वित्तीय स्थिति, कृषि उपज के उत्पादन (कृषि विभाग की जानकारी अनुसार) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी में आवक, माहवार स्थापना व्यय आदि की जानकारी प्रस्तुत करेगी।

(4) उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय भी यह देखे कि वास्तव मे कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिये मण्डी के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है अथवा आगामी माह में उपलब्ध नहीं होगीं। तदाशय की टीप एवं अनुशंसा सहित प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जावेगा।

(5) मण्डी समिति के ठहराव की प्रति उपसंचालक कार्यालय के अभिमत के साथ प्रकरण परिशिष्ट "बी" पर संलग्न प्रारूप में मुख्यालय को भेजा जावेगा।

(6) बोर्ड को भेजी जाने वाली निधियों का गत तीन वर्षो का विवरण पत्रक।

(7) मण्डी समिति स्तर पर जमा योग्य निधियों का विवरण पत्रक।

(8) विगत तीन वर्षो के आय--व्यय पत्रक एकजाई 31 मार्च की स्थिति में।

(9) मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जावेगा तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरांत आदेश जारी किया जाकर स्वीकृत आदेश के अनुक्रम में लेखा शाखा द्वारा राशि का चेक/ड्राफ्ट संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव के नाम जारी किया जावेगा। यह व्यय बोर्ड निधि से विकलनीय होगा।

(10) कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिये बोर्ड से उपलब्ध कराई अनुदान राशि का उपयोग बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिये ही किया जावेगा। इस राशि के किसी प्रकार के अन्यथा उपयोग पाये जाने पर संबंधित मण्डी सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया एवं शर्ते यह ज्ञापन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

<u>संलग्न</u> :– परिशिष्ट ''बी''

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ 19 भोपाल, दिनांक 25/05/2012

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
(3) निज सहायक प्रबंध संचालक, , म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(4) निज सहायक अपर संचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(5) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..........................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(6) संयुक्त संचालक, बोर्ड बैठक शाखा, मुख्यालय भोपाल की ओर बोर्ड की बैठक क्रमांक–120, दिनांक 29.03.2012 के निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
(7) लेखाधिकारी(लेखा), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट "बी"

मण्डी समितियों के कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों के भुगतान के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु पत्रक

(1) कर्मचारी का नाम एवं पद...

(2) मण्डी समिति का नाम...

(3) वेतनमान...

(4) मण्डी समिति में पदस्थापना अवधि...................

(5) बकाया राशि का विवरणः–

(क) बकाया राशि की अवधि...

(ख) वेतन एरियर की राशि...

(ग) महंगाई भत्ता..

(घ) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता..

(च) आवास भत्ता..

(छ) प्रतिनियुक्ति भत्ता..

(ज) चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि/भत्ता........................

(झ) अन्य भत्ता.................................

कुल राशि का योग रू0 ....

(6) वसूली योग्य राशि का विवरण–

(1).........................

(2).........................

(3).........................

(7) प्रस्तावित अनुदान राशि.......................

(8) मण्डी समिति के संचालक मण्डी का ठहराव कमांक एवं दिनांक.........................

(9) : प्रमाणीकरणः

:सचिव मण्डी का प्रमाण–पत्रः

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति.................. के कर्मचारी श्री............ ....पदनाम..................के संबंध में दिये गये उपरोक्त विवरण सही है तथा कृषि उपज मण्डी समिति के स्त्रोतों से प्रस्तावित राशि भुगतान संभव नहीं है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..............जिला............

:उपसंचालक की अनुशंसाः

उपरोक्त विवरण के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति ....के कर्मचारी............................पदनाम.......................के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिये राशि रू0......................के अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....